

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

आदेश फॉलक

920/13-14

अभिलेख हस्तक

1 का नियम 129 )

रीख 14.8.13 से 14.8.13 तक

आदेश पत्रक चाफ फा-920

जिला पटना

अनुमण्डल:- बाढ़ अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार बाढ़ रकबा कारीग

बाढ़ रकबा कारीग एवं वर्ष 2013-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
1-8-13	<p>श्री/श्रीमति <u>श्री देवी</u> <u>राजजन्तु आदर व अतीता देवी</u> <u>बाढ़ जमना</u>  <u>प्रिया/पति व शिवलाल प्रसाद/व्युक्त</u> <u>ग्राम लोहरा</u>                      थाना <u>बाढ़</u> जिला पटना अंचल, बाढ़ जिला ने निम्नलिखित                      जमीन बिक्री/दानपत्र/वख्शीशनामा बँटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी                      द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया                      है।                      अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को                      अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन                      समर्पित करने हेतु निर्देशित करे।                      अभिलेख दिनांक <u>5-8-13</u> को उपस्थापित करे।                      जमीन का विवरण                      ग्राम/थाना नं० <u>दोहरा/लोहरा</u> खाता नं० <u>64</u>  <u>58</u>                      खेसरा <u>718</u>                      रकबा <u>511</u></p>	
5-8-13	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन                      अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	<p><u>5/8/13</u>                      अंचल अधिकारी                      बाढ़</p>

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र / दानपत्र / वरखीसना  
बेटवारा / विनिमय / उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः  
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता, विकेता एवं आम  
गहवाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 13-8-13  
को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

2/13/8/13

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

13-8-13

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा

काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 14-8-13

को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

2/13/8/13

14-8-13

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर  
राजस्व वसूली हित में रतल प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की

..... दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

अंचल अधिकारी  
बाढ़

2/14/8/13